

केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, यूनिट-1, लखनऊ

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्धरूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

16 बिन्दुओं पर आख्या।

क्र०	बिन्दु	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	इस यूनिट-1 द्वारा विभिन्न लघुडाल नहरों/वृहद/माध्यम पम्प नहरों हेतु कार्यरत खण्डों से प्राप्त माँग पत्रों के अनुसार सामाग्री की क्रय व्यवस्था हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टेण्डर डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट कान्ट्रेक्टर के द्वारा सामाग्री की क्रय व्यवस्था की जाती है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिशासी अभियन्ता 2. सहायक अभियन्ता 1/2/3 3. अवर अभियन्ता 4. अनुसचिवीय अधिष्ठान 5. चतुर्थ श्रेणी 	इस यूनिट के अन्तर्गत आवंटित समस्त कार्यों पर नियंत्रण/समस्त कार्यों का सम्पादन कराना। कार्यरत राजकीय सेवकों से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों पर यथावश्यक पत्राचार/उनका समुचित रख रखाव।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	इस यूनिट के अन्तर्गत आवंटित समस्त कार्यों का सम्पादन कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	क्रय की जाने वाली सामाग्री की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यों के सम्पादन के लिये विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मु0अ0ग0/अधी0अभि0 द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों उपलब्ध आई0एस0 एवं लागू निर्णय/नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रख रखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं को तदनुसार निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	मण्डल स्तर पर निर्गत मूल अनुबन्ध, फर्मों द्वारा दिये गये टेण्डरों की मूलप्रति, वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श लेने के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	इस यूनिट से सीधे जनता से संबंधित कोई कार्य सम्पादित नहीं किया है।

8	ऐसे बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका इसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	इस यूनिट में सीधे जनता से सम्बन्धित कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	-
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के आधार पर है। 1. अधिशासी अभियन्ता- 39100-67000 2. सहायक अभियन्ता- 15600-39100 3. अवर अभियन्ता- 9300-34800 4. वरिष्ठ सहायक- 5200-20200 5. कनिष्ठ सहायक- 5200-20200 6. चपरासी- 4440-7440 7. धावक- 4440-7440
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंशिक बजट।	इस यूनिट के कार्यों हेतु बजट संबंधी समस्त कार्य आहरण वितरण अधिकारी, इन्वेंट्री कंट्रोल खण्ड, तेलीबाग, लखनऊ द्वारा किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आंशिक राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्रहणों के व्यौरे सम्मिलित है।	कोई बजट इस यूनिट को आंशिक नहीं होता है और नहीं उसका उपयोग किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ।	कोई बजट इस यूनिट को आंशिक नहीं होता है और नहीं उसका उपयोग किया जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	इस यूनिट में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है परन्तु इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोकउपयोग के अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।
16	लोकसूचना अधिकारियों के पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील अधिकारी जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ से संबंधित है जिसका विवरण निम्नवत् है:- 1. श्री आदेश कुमार गोयल:- अपीलीय अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई एवं जल

		<p>संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।</p> <p>2. श्री के०के०वर्मा:-जनसूचना अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।</p> <p>3. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव:- सहायक जनसूचना अधिकारी/ सहायक अभियन्ता, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।</p>
--	--	--

(के०के०वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय/संगठन/अपील अधिकारियों, जनसूचना अधिकारियों, सहायक जनसूचना अधिकारियों, का विस्तृत विवरण

विभाग का नाम:- केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, यूनिट-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क्र०सं०	कार्यालय/संगठन का नाम	1-अपील अधिकारियों के नाम 2-जनसूचना अधिकारियों के नाम 3-सहायक जनसूचना अधिकारियों के नाम	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के पद नाम व कार्यालय के पते	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के आवासीय पते	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के कार्यालय के टेलीफोन नम्बर /मोबाइल नम्बर	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के आवास के टेलीफोन नम्बर /मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7
1	केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश, गंगा सिंचाई भवन,तेलीबाग,लखनऊ।	1.श्री आदेश कुमार गोयल	अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-प्रथम, सिं०वि०, उ०प्र०, लखनऊ।	8/3 परिकल्प विहार कालोनी, तेलीबाग, लखनऊ।	05222441281	9454415010
		2. श्री के०के०वर्मा	अधिशारी अभियन्ता, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश, गंगा सिंचाई भवन,तेलीबाग,लखनऊ।	477, सेक्टर-एम, आशियाना एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।	9454415101	9454415101
		3. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग,लखनऊ।	एलडिको उद्यान प्रथम 656, सेक्टर-3, लखनऊ।	9454414700	9454414700

(के०के०वर्मा)

अधिशारी अभियन्ता